कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक— २.३.५.३ / 11—सी—FP/UP/Approach/157266/2022, लखनऊ, दिनांकः फरवरी ५.९ ,2025

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

विषय:— जनपद हाथरस में भैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सादाबाद—जलेसर मार्ग (एस0एच0—122) किमी० 49 के मध्य बॉयी पटरी पर खसरा संख्या—1096 ग्राम सहपऊ तहसील सादाबाद जनपद—हाथरस में स्थापित होने वाले रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.0781246 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या—4821/14—1, दिनांक 23.06.2023 एवं संख्या—2175/14—1, दिनांक 06.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 सपिठत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.11.2023 द्वारा निर्गत अधिसूचना के बिन्दु सं0—9 के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत कार्यालय—ज्ञाप संख्या—यू0ओ0—88/81—2—2024, दिनांक 18.12.2024 के अनुपालन में जनपद हाथरस में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सादाबाद—जलेसर मार्ग (एस0एच0—122) किमी0 49 के मध्य बॉयी पटरी पर खसरा संख्या—1096 ग्राम सहपऊ तहसील सादाबाद जनपद—हाथरस में स्थापित होने वाले रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.0781246 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्ववारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I) निर्गत की जाती हैं:—

- Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
- Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for the plantation over an area of 0.1600 ha. or (160 plants) degraded forest land in Tatidandia van forest block, Sikandra rao Forest Range, Forest division, District- Hathras at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
- The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
- The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.0781246 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5- 1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5- 3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06-01-2022 in this regards.
- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed

of trees, existing project se to be					
existing					
existing					
project					
project					
e to be					
granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.					
ge may nent of					
sited to					
cement					
wn tree					
t of the					
elt plan species. ets and ce road					
able for per the ation in iniyam					
rizance ifically Forest ment or spect of 980 is to file offence having					
road as tlet and					

	and no other affected forest area is left to be included in the proposal.					
24	The approval shall be revoked if any change in forest area/forest boundary occurs after					
	Digitization of forest boundaries is completed.					
25	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के					
	पश्चात प्रश्नगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति (Stage-II) प्रदान की जायेगी।					
26	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे।					

(लित कुमार वर्मा) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, कु उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

2. उप वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

3. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

4. डिप्टी जनरल मैनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0, संजय प्लेस, आगरी।

(लिलत कुमार वर्मा) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।